संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900
Fax: 91-0522- 2668017,2668078

आत्मना सर्गो जित

पत्रांक–पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 1510 / 2020 दिनांक 22.10.2020

कार्यालय आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2136 / 71–1–2020–जी–228 / 2017 टी.सी. दिनांक 06.05.2020 द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों / संस्थानों की टर्शियरी केयर फैसिलिटीज में कोविड–19 वायरस से संक्रमण के उपचार के लिए अस्पताल में 01 सप्ताह की ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सा कर्मी को अपनी पाली पूर्ण होने पर Active Quarantine में रहने तथा तद्नुसार 01 सप्ताह की कार्यावधि पूर्ण होने पर 02 सप्ताह की Passive Quarantine पर जाने तथा पुनः तृतीय सप्ताह में ड्यूटी पर उपस्थित होने संबंधी एडवाईजरी चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–883 / 71–2–2020 दिनांक 03.04.2020 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त व्यवस्था को शासनादेश दिनांक 06.05.2020 द्वारा आशिंक रूप से निम्नवत् संशोधित किया गया है।

"प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी मेडिकल कॉलेजो/ चिकित्सा संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में कोविड–19 चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सा कर्मी 02 सप्ताह की ड्यूटी पर रहेगें तथा अपनी पाली के पूर्ण होने पर Active Quarantine पर रहेगें। तद्नन्तर 02 सप्ताह की कार्यावधि पूर्ण होने पर 02 सप्ताह की Passive Quarantine पर जायेगें तथा तत्पश्चात पुनः अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होगें। इस प्रकार 04 सप्ताह का चक्र निर्धारित किये जायेगें"।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–883 / 71–2–2020 दिनांक 03.04.2020 में उल्लिखित शेष दिशा–निर्देश तथा एडवाईजरी यथावत् रहेगें।

उपरोक्त व्यवस्था संस्थान के राजधानी कोविड हास्पिटल एवं नान–कोविड / होल्डिंग एरिया में कार्यरत चिकित्साकर्मियों पर समान रूप से लागू होगें। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1107 / 5–5 / 2020 दिनांक 16.05.2020 द्वारा कोविड–19 हेतु निर्गत होम क्वारंनटाईन संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश भी समान रूप से लागू होगें।

(प्रो0 आर0के0 धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. अपर निदेशक / समस्त विभागाध्यक्ष।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक / अध्यक्ष, क्वारंनटाईन समिति।
3. प्रो0 आर0के0 सिंह, इंचार्ज, आर0सी0एच0 / नोडल आफिसर कोविड–19।
4. चीफ नर्सिंग आफिसर / नर्सिंग इंचार्ज कोविड हास्पिटल।
5. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को इस आशय से प्रेषित की संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(प्रो0 आर0के0 धीमन)
निदेशक

RA

प्रेषक

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
आगरा/मेरठ/प्रयागराज/कानपुर/झाँसी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर/आजमगढ़/सहारनपुर/कन्नौज/जालौन/बाँदा/बदायूँ/अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/गौतमबुद्धनगर/इटावा/बरेली/मुजफ्फरनगर/सीतापुर/उन्नाव/मथुरा/हापुड़/बाराबंकी/लखनऊ/वाराणसी/मुरादाबाद/गाजियाबाद।
2. **कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
3. **कुल सचिव, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई इटावा।**
4. **निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।**
5. **निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।**
6. **निदेशक, गवर्नमेन्ट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईसेज, ग्रेटर नोएडा।**
7. **निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा।**
8. **समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।**
9. **समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।**
10. **प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, समस्त निजी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।**

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2020**

विषयः **प्रदेश के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में कोविड–19 के उपचार हेतु 'मेडिकल टीम क्वारेनटाइन फैसिलिटी' की व्यवस्था के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों/संस्थानो की टर्शियरी केयर फैसिलिटीज में कोविड–19 वायरस से संक्रमण के उपचार के लिए अस्पताल में 01 सप्ताह की ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सा कर्मी को अपनी पाली पूर्ण होने पर Active Quarantine में रहने तथा तद्नन्तर 01 सप्ताह की कार्यावधि पूर्ण होने पर 02 सप्ताह की Passive Quarantine पर जाने तथा पुनः तृतीय सप्ताह में ड्यूटी पर उपस्थित होने संबंधी एडवाईजरी चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–883/71–2–2020, दिनांक 03.04.2020 द्वारा निर्गत की गयी है।

2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या–एम0ई0–1/2020/1483, दिनांक 04.05.2020 में अवगत कराया है कि कोविड–19 के बढ़ते मरीजों के दृष्टिगत पूरे प्रदेश के मेडिकल कालेजों/संस्थानो में आइसोलेशन बेड्स की संख्या में वृद्धि की गयी है। उपलब्ध मानव संसाधन सीमित है जिसके दृष्टिगत देश के कतिपय अन्य प्रदेशो में प्रचलित व्यवस्था तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 03.04.2020 में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार चिकित्सालय में कार्यरत कर्मियों को दो सप्ताह की ड्यूटी के दौरान Active Quarantine तत्पश्चात् 02 सप्ताह के लिए Passive Quarantine किये जाने की संस्तुति महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा की गयी है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानो तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयो में

कोविड–19 चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सा कर्मी 02 सप्ताह की ड्यूटी पर रहेंगे तथा अपनी पाली के पूर्ण होने पर Active Quarantine पर रहेंगे। तद्नन्तर 02 सप्ताह की कार्या ... पूर्ण होने पर 02 सप्ताह की Passive Quarantine पर जायेगे तथा तत्पश्चात् पुनः अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होंगे। इस प्रकार 04 सप्ताह का चक्र निर्धारित किये जायेगे।"

4– चिकित्सा शिक्षा–अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–883/71–2–2020, दिनॉक 03.04.2020 में उल्लिखित शेष दिशा–निर्देश तथा एडवाईजारी यथावत् रहेंगे तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक–समस्त निजी मेडिकल कालेजों की सूची।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2136 (1)/71–1–20, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों की प्रति प्रबन्धक/प्रधानाचार्य समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज को अनुपालन हेतु अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

जी-228/2137C

शासनादेश संख्या–2136 /71–1–2020, दिनांक 06 मई, 2020 का संलग्नक।

क.सं.	कोविड–19 हेतु अधिसूचित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम
1	संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद
2	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ
3	एरा मेडिकल कालेज, लखनऊ
4	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर
6	रूहेल खण्ड मेडिकल कालेज, बरेली
7	रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एण्ड हास्पिटल, कानपुर
8	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़
9	तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद
10	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी
11	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज (शारदा विश्वविद्यालय) ग्रेटर नोएडा
12	कैरियर मेडिकल कालेज, लखनऊ
13	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़, गाजियाबाद
14	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी
15	इंटीग्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
16	एफ0 एच0 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद
17	राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली
18	हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी
19	हिन्द मेडिकल कालेज, सीतापुर
20	के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा
21	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल पॉली डूंगरा, मथुरा
22	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
23	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव
24	टी0एस0एम0 इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
25	बरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेल खण्ड हास्पिटल, शाहजहॉपुर
26	जी0एस0मेडिकल कालेज, हापुड़
27	एम0एस0वाई0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ
28	वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, गजरौला, अमरोहा

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

aG.O.

संख्या–1107/पॉच–5/2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक 16 मई, 2020

विषय–कोविड–19 हेतु होम–क्वॉरेन्टाइन के लिए सामान्य दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संक्रमण को सोशल डिस्टेन्सिंग, हाथों की स्वच्छता एवं संदिग्ध रोगियों के होम क्वॉरेन्टाइन जैसे महत्वपूर्ण उपायों के द्वारा काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को कियान्वित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। कोविड–19 के रोगियों के प्रबन्धन के लिए विभिन्न स्तरों की चिकित्सा ईकाइयॉ नामित की गई हैं जहाँ पर इन रोगियों का समुचित प्रबन्धन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में, सम्यक विचारोपरान्त, कोविड–19 के संदिग्ध/पुष्ट रोगियों के ऐसे सम्पर्कों (contacts), जो इस आदेश की शर्तों को पूर्ण करने में सक्षम हों, को होम–क्वारेन्टीन करने का निर्णय लिया गया है। सम्पर्क (contact) एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है जो एक कोविड–19 संकमित व्यक्ति के साथ में या दूषित वातारण में रहा हो जिससे उस व्यक्ति में कोविड–19 रोग विकसित होने का खतरा बढ़ गया हो। जो व्यक्ति/सम्पर्क शर्तों को पूर्ण न कर सकते हों, उन्हें अनिवार्य रूप से फैसिलिटी क्वॅरेन्टाइन में ही रखा जाएगा। कोविड–19 के सम्पर्क (contact) निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं–

1. कोविड–19 के संकमित रोगी के साथ एक ही घर में रहने वाला व्यक्ति।

2. बिना किसी अनुशंसित पी0पी0ई0 का प्रयोग किए अथवा पी0पी0ई0 का ठीक से प्रयोग किए बिना कोविड–19 के संकमित रोगी के सीधे शारीरिक/शारीरिक–स्राव के सम्पर्क में आने वाला व्यक्ति।

3. कोविड–19 से संकमित रोगी के नजदीकी सम्पर्क (आमने–सामने, 1 मीटर से कम दूरी) में आने वाला व्यक्ति। इसके अन्तर्गत सरकारी चिकित्सक/निजी चिकित्सक/सरकारी एवं निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल स्टाफ विशेष रूप से स्टाफ नर्स, लैब–टैक्नीशियन, वार्ड ब्वाय आ सकते हैं।

निम्नलिखित परिस्थितियों/सुविधाओं की उपलब्धता/शर्तों का अनुपालन करने पर 14 दिन के होम–क्वॉरेन्टाइन का विकल्प प्रदान किया जाएगा–

1. होम–क्वॉरेन्टाइन के लिए व्यक्ति के पास एक पृथक कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कमरा हवादार एवं सम्बद्ध शौचालय–युक्त (attached toilet) होना

चाहिए। घर के अन्य सदस्यों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए अर्थात उस घर में एक से अधिक शौचालय का होना अनिवार्य है।

2. होम–क्वॉरेन्टाइन में रखे जाने वाले व्यक्ति के आवास में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं छोटे बच्चों जैसे उच्च जोखिम वर्ग (high risk group) वाले सदस्य नहीं होने चाहिए अथवा आवास का आकार एवं व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि उच्च जोखिम वर्ग वाले सदस्य क्वॉरेन्टाइन किए गए व्यक्ति के सम्पर्क में न आ सकें।

3. आरोग्य सेतु मोबाइल–ऐप को डाउनलोड कर ऐप को सदैव सक्रिय रखने एवं अपने स्वास्थ्य की दैनिक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण–कक्ष को प्रतिदिन उपलब्ध कराने की लिखित सहमति प्रदान करने पर ही होम–क्वॉरेन्टाइन की अनुमति दी जाएगी।

4. होम–क्वॉरेन्टाइन होने की दशा में घर के बाहर समुचित स्थान पर फ्लायर लगाने की सहमति प्रदान करनी होगी।

2– होम–क्वॉरेन्टाइन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा–

होम–क्वारेन्टीन में रखे गए व्यक्तियों हेतु निर्देश–

1. हाथों को 30 सेकेण्ड तक बार–बार साबुन और पानी से धोना चाहिए अथवा एल्कोहल–आधारित सेनीटाइजर से साफ करना चाहिए।

2. हर समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इस मास्क को 8 घंटे के प्रयोग के बाद अथवा गीला या दिखने में गंदा लगने पर बदलना चाहिए। घर में कपड़े से निर्मित प्रयुक्त मास्क को गर्म पानी एवं घरेलू डिटरजेन्ट से साफ कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।

3. अपनी ऑख, नाक एवं मुँह को बार–बार अनावश्यक रूप से छूने से परहेज करना चाहिए।

4. सदैव श्वसन सम्बधी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए।

5. अपने आवागमन को अत्यन्त सीमित रखना चाहिए।

6. किसी भी परिस्थिति में सामाजिक/धार्मिक/शादी समारोहों/शोक–सभा आदि में भाग नहीं लेना चाहिए।

7. होम–क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए आगंतुकों को अनुमति नहीं देनी चाहिए।

8. होम–क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के निकट की दूषित वस्तुओं जैसे सिगरेट, बर्तनों, भोजन, पेय पदार्थ, तौलिया एवं बेड–शीट को साझा नहीं किया जाना चाहिए। अन्य कोई भी व्यक्तिगत वस्तु किसी अन्य से साझा नहीं करनी चाहिए।

9. व्यक्ति को उसके कमरे में ही भोजन दिया जाना चाहिए।

10. प्रयोग किए गए बर्तनों को साबुन/डिटरजेन्ट एवं गर्म पानी के द्वारा ग्लब्स पहन कर धोना चाहिए। धोने एवं अच्छी तरह से सुखाने के बाद बर्तनों का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ग्लब्स को निकालने एवं पहनने से पूर्व एवं किसी भी सम्भावित संक्रमित वस्तु को छूने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए।

11. प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों, लिनेन, सतह को साफ करते समय त्रिस्तरीय मेडिकल मास्क/घर पर निर्मित मास्क एवं ग्लब्स पहनना चाहिए। ग्लब्स को निकालने एवं पहनने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए।

12. खांसी/बुखार/सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न होने की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष या टोल फ्री नम्बर **1800—180—5145** पर दिया जाना चाहिए।

होम क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के परिजनों हेतु निर्देश—

1. किसी एक ही परिजन को व्यक्ति के देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। देखरेख करने वाले ऐसे व्यक्ति को भी सदैव घर में निर्मित कपड़े का मास्क पहनना चाहिए।

2. परिवार के अन्य सदस्य कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखेंगे।

3. परिजनों द्वारा फर्श आदि तथा गंदे कपड़े साफ करते समय डिस्पोजेबल ग्लब्स का प्रयोग करना चाहिए। ग्लब्स निकालने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।

4. यदि होम—क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि लक्षण प्रकट होते हैं तो देखरेख करने वाला परिजन इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष या टोल फ्री नम्बर **18001805145** पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ऐसी परिस्थिति में, उसके सभी नजदीकी सम्पर्कों को 14 दिनों तक होम—क्वारेन्टीन में रखा जाएगा एवं उसके अगले 14 दिनों तक फालो—अप किया जाएगा।

वातावरणीय स्वच्छता—

1. होम—क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के कमरे में बार—बार छूई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ एवं 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

2. शौचालय को प्रतिदिन घरेलू ब्लीच विलयन/फिनॉलिक विसंक्रामक से साफ एवं विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

3. होम—क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए गए कपड़ों को पृथक रूप से घरेलू डिटरजेन्ट एवं गर्म पानी से साफ कर सुखाया जाना चाहिए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
15.5.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

Pankaj/GO/COME-3

संख्या–1107 (1)/पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

15/5/2020

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

15/05/2020

15.05.2020